न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—24 / 2018 / 225 (2018 / 00024)

1. नाथूशाह पुत्र स्व0 हजारी, जाति सांई, निवासी कालेसरा, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. प्रभू पुत्र हरी,
2. दिनेश पुत्र नारायण,
3. श्रीमती शारदा पुत्री नारायण,
4. श्रीमती पार्वती पुत्री नारायण,
   जाति रेगर, नि0 कालेसरा, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर ।
5. नीम्बा पुत्र हरी,
6. रामा पुत्र हरी,
7. मुकेश पुत्र नारायण,
8. इन्द्रा पुत्री नारायण,
9. प्रेमी पुत्री नारायण,
10. लीला पुत्री हाथी,
    जाति रेगर, नि0 कालेसरा, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर ।
11. श्रीमती शकूरन पत्नि हजारी,
12. आलमशाह पुत्र हजारी,
13. कासमशाह पुत्र हजारी,
14. शौकीन पुत्र हजारी,
15. खातून पुत्री हजारी,
16. चन्द्रा पुत्री हजारी,
17. लाली पुत्री हजारी,
    जाति सांई, नि0 कालेसरा, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर ।
18. उप पंजीयक, पीसांगन ।
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीसांगन ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन दिनांक 19.6.2017 अंतर्गत प्रकरण संख्या 101 / 2014.

उपस्थितः—

1. श्री विकास पाराशर, वकील अपीलांट ।
2. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील रेस्पो0 संख्या 1, 3 व 4 .
3. श्री बकुल कुमार, वकील रेस्पो0 संख्या 11 से 17.
4. रेस्पो0 संख्या 2, 5 से 10 अनुपस्थित ।
5. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 18 व 19.

निर्णय

दिनांकः— 18.2.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के आदेश दिनांक 19.6.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 द्वरा अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्व वाद बाबत् खातेदारी घोषणा का प्रस्तुत किया गया । साथ ही एक प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 पेश कर कथन किया कि वर्किंग खसरा नंबर 1518 जिसके वर्तमान खसरा नंबर 2831 रकबा 0.68 है0, 2832 रकबा 0.54 है0 बने है । उक्त आराजियात हरी पुत्र सुखदेव को आवंटित की गई थी तत्पश्चात् वादग्रस्त आराजियात गलत रूप से प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दी गई इसलिये पुनः प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज की जावे एवं प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे । प्रार्थना पत्र प्रस्तत होने पर अधी0न्याया0 ने दिनांक 25.7.2014 को एकपक्षीय अंतरिम स्थगन आदेश जारी कर दिया तत्पश्चात् बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये उपरोक्त आदेश को दिनांक 9.6.2015 को संशोधित कर दिया तत्पश्चात् पत्रावली कैम्प कोर्ट कालाडेरा में रखते हुए एकपक्षीय निर्णय दिनांक 19.6.2017 पारित करते हए अस्थायी निषेधाज्ञा को ताफैसला मूल वाद कन्फर्म कर दिया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।
3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअदांज कर दिया कि अपीलांट वादग्रस्त आराजी का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है और एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को बिना सुनवाई का अवसर दिये पाबंद नहीं किया जा सकता है । अपीलांट पिछले 50 वर्षो से बहैसियत रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होकर काबिज काश्त चला आ रहा है किन्तु अधी0न्याया0 ने नोन स्पीकिंग आदेश से बिना कोई कारण अंकित किये निर्णय दिनांक 19.6.2017 पारित कर दिया जो निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने निर्णय पारित करते समय नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत हाकर बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये एकतरफा में निर्णय पारित किया है । यह भी कथन किया कि अपीलांटा को राजस्व कैम्प कालाडेरा में उपस्थित होने बाबत् कोई नोटिस प्राप्त नही हुए इसलिये अपीलांट को यह जानकारी नहीं हो पाई एवं न ही प्रकरण बहस हेतु पूर्ण था इसलिये बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये अधी0न्याया0 द्वारा पारित एकपक्षीय निर्णय निरस्तनीय है। बहस में आगे कथन किया कि कैम्प कोर्ट में उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें दोनों पक्षकारान उपस्थित हो एवं वे किसी बिन्दु पर निर्णय करने हेतु सहमत हो किन्तु हस्तगत प्रकरण में न तो अपीलांट हाजिर था एवं न ही उसकी किसी प्रकार की कोई सहमति ही थी इसलिये उक्त प्रकरण का राजस्व कैम्प में निस्तारण नहीं किया जा सकता था । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य कों नजरअदांज कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे ।
5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश की अपीलांट को कोई जानकारी नही थी क्योंकि उक्त निर्णय अपीलांट की

अनुपस्थिति में पारित किया गया था । अपीलाधीन निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 18.12.2017 को विपक्षीगण द्वारा मौके पर आकर बेदखल किये जाने की धमकी दिये जाने पर हुई । तत्पश्चात् अपीलांट ने अपीलाधीन निर्णय की जानकारी कर प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की तत्पश्चात् कानूनी सलाह लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है। अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । ग्राम कालेसरा, तहसील पीसांगन स्थित वर्किंग खसरा नंबर 1518 रकबा 7–10–0 जिसके वर्तमान खसरा नंबर 2831 रकबा 0.68 है0 एवं 2832 रकबा 0.54 है0 भूमि हरि पुत्र सुखदेव जाति रेगर को दिनांक 14.9.1973 को आवंटित की गई थी जो कि अनुसूचित जाति का सदस्य था एवं आवंटन के अनुसार नामांतकरण संख्या 144 दिनांक 3.10.1977 को स्वीकृत कर खातेदार दर्ज कर दिया गया था इसके पश्चात् हरि पुत्र सुखदेव का स्वर्गवास होने पर वादीगण एवं प्रफोर्मा प्रतिवादी संख्या 11 से 16 विरासत नामांतकरण संख्या 400 दिनांक 16.11.2004 स्वीकृत कर खातेदार दर्ज किया गया परन्तु वर्तमान भू–प्रबधं के दौरान विवादित आराजी खाता संख्या 282/274 में खसरा नंबर 2829 रकबा 0.77 है0 वादीगण/रेस्पो0 के नाम गलत दर्ज कर दी गई जबकि वादी/रेस्पो0 के नाम खसरा नंबर 2831 व 2832 को दर्ज किया जाना चाहिये था एवं इसी पर वादीगण/रेस्पो0 का कब्जा काश्त चला आ रहा है । हजारी पुत्र छोटू सांई का नाम उक्त भूमि में गलत दर्ज किया गया है । इस संबंध में अधी0न्याया0 द्वारा तहसील कार्यालय से रिपोर्ट तलब की गई जिस पर हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 28.6.2014 को संपूर्ण तथ्यों की जांच कर खसरा नंबर 2831 व 2832 की भूमि पर वादीगण/रेस्पो0 को पुराना आवंटन होकर कब्जा काश्त 41 वर्षो से होना बताया है तथा 2828 व 2829 पर उम्मेद खां, अली खां, लहरी पि0 गनी कौम ढाढी का कब्जा बताया है । उक्त रिपोर्ट के विरूद्ध अपीलांटस ने कोई ऐतराज पेश नहीं किये है । इस प्रकार रेस्पो0 का विवादित भूमि पर आवंटन की तारीख से कब्जा काश्त प्रमाणित होता है । अधी0न्याया0 ने मात्र रहन, विक्रय से पाबंद किया है जो विधिसम्मत् आदेश है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब माफ किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । रेस्पो0 संख्या 1 से 4 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष ग्राम कालेसरा, तहसील पीसांगन स्थित वर्किंग खसरा नबर 1518 रकबा 7–10–00 हरि पुत्र सुखदेव जाति रेगर को दिनांक 14.2.1973 को आवंटित भूमि के संदर्भ में वाद प्रस्तुत किया गया एवं कथन किया कि उक्त भूमि हरि पुत्र सुखदेव को आवंटित भूमि थी आवंटन के आधार पर नामांतकरण संख्या 144 दिनांक 3.10.1977 को हरि के पक्ष में स्वीकृत कर खातेदार दर्ज किया गया था एवं हरी के स्वर्गवास के बाद विरासत नामांतकरण संख्या 400 दिनांक 16.11.2004 से रेस्पो0 संख्या 1 से 10 के पक्ष में स्वीकृत किया जाकर खातेदार दर्ज कर दिया गया था । वर्किंग खसरा नंबर 1518 के वर्तमान खसरा नंबर 2831 व 2832 बने जिस पर रेस्पो0 संख्या 1 से 10 का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है जो कि अनुसूचित जाति के सदस्य है । वर्तमान भू–प्रबंध विभाग द्वारा वर्तमान खसरा नंबर 2831 व

2832 रेस्पो0 संख्या 1 से 10 के नाम खातेदारी में दर्ज करने चाहिये था किन्तु भू–प्रबंध विभाग ने गलत तौर से वर्तमान खसरा नंबर 2829 रेस्पो0 संख्या 1 से 10 के नाम दर्ज कर दिया गया जबकि 2831 व 2832 दर्ज करना चाहिये था । अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध वर्किंग जमाबंदी में नामांतकरण संख्या 400 दिनांक 16.12.2004 से वर्किंग खसरा नंबर 1518/2 रकबा 7–10–00 पर नारायण, प्रभू, निम्बा, रामा पि0 हरी व लाली खातेदार दर्ज है तथा आवंटन पट्टा दिनांक 14.9.1973 से वर्किंग खसरा नंबर 1518 रकबा 7–10–0 हरि पुत्र सुखेदव को आवंटित होना प्रमाणित होता है । मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 28.6.2014 से वर्किंग खसरा नंबर 1518 रकबा 7–10–0 के वर्तमान खसरा नंबर 2831 व 2832 पर रेस्पो0 संख्या 1 से 10 का कब्जा काश्त होना प्रमाणित होता है । खसरा नंबर 2831 व 2832 पर अपीलांटस का कभी कब्जा रहा हो ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है । अधी0न्याया0 द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत अवलोकन कर अपीलांटस को मात्र दावा विचाराधीन रहने तक विवादित आराजी को मात्र रहन, बेचान नहीं करने बाबत् पाबंद किया है जो विधिसम्मत् प्रतीत होता है ।

9. उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

10. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.6.2017 को यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 18.2.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर